

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक—395 / 2011
संस्थित दिनांक—13 / 06 / 2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

कैलाश पिता रामकेर यादव उम्र—46 वर्ष,
निवासी—ग्राम बबुआपुर, पोस्ट रैकवारडीह,
थाना मउ, जिला मउ (उ.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक—09 / 03 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—01.05.2011 को समय 9:15 बजे स्थान ग्राम भीमजोरी, मलाजखण्ड चर्च के पास, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर बस क्रमांक—एम.पी.50—8063 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी विकास बारिया की मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी.50—5788 को टक्कर मारकर विकास बारिया को साधारण उपहति तथा आहत रामलाल को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—01.05.11 को रात के करीब 9:00 बजे भीमजोरी से मलाजखण्ड के बीच चर्च के पास रास्ते में आरोपी ने वाहन बस क्रमांक—एम.पी. 50—8063 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आहत विकास व रामलाल की मोटरसाईकिल को कट मार दिया, जिस कारण उक्त आहतगण बस की टक्कर से मोटरसाईकिल से गिर पड़े। उक्त आहतगण को उक्त दुर्घटना में चोटें आई तथा उन्हें मलाजखण्ड अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना सूचनाकर्ता महेश ने थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई। उक्त सूचना पर पुलिस थाना मलाजखण्ड में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—31 / 2011, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत रामलाल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के

आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-01.05.2011 को समय 9:15 बजे स्थान ग्राम भीमजोरी, मलाजखण्ड चर्च के पास, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम.पी.50-8063 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर विकास बारिया की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर आहत विकास बारिया को साधारण उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत रामलाल को टक्कर मारकर उसकी अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— सूचनाकर्ता महेश कुमार छीपा (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। आहत विकास उसका भतीजा एवं रामलाल उसका श्रमिक है। घटना लगभग एक माह पूर्व रविवार के दिन की है। वह घटना दिनांक को मोटरसाईकिल से दमोह बाजार करके दमोह से आ रहा था, उसके साथ श्रमिक भैयालाल बैठा था और अन्य मोटरसाईकिल को उसका भतीजा विकास चला रहा था, जिसके साथ आहत रामलाल बैठा था, तो वे जैसे ही मलाजखण्ड चर्च के पास पहुंचे तो पीछे से दमोह की ओर से एक बस आई और उसके भतीजे विकास को मोटरसाईकिल से टक्कर मारी और आगे निकल गई, उक्त टक्कर लगने से उसके भतीजे विकास को सिर तथा हाथ में चोट लगी थी तथा रामलाल का एक हाथ फ्रेक्चर हो गया था। जिस वाहन से टक्कर लगी थी उसके पीछे टाटा लिखा था, जो एस.एफ. फोर्स का वाहन था। उस समय वाहन कौन चला रहा था वह नहीं देखा था। उक्त दुर्घटना बस के ड्राइवर की गलती से हुई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में किया था, जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने घटनास्थल दिखा दिया था, जिसका मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना रात्रि 9:00 बजे के आसपास की होने के कारण वह बस का नंबर नहीं देख पाया था।

6— प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय अंधेरा होने से दुर्घटना को नहीं देख पाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना कारित वाहन का नंबर नहीं देख पाया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से मात्र इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसने वाहन दुर्घटना के समय आहतगण को चोट लगी देखी थी और बाद में उक्त वाहन दुर्घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में लेख कराई थी। यद्यपि इस साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को उसके घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन प्राप्त नहीं होता है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में न तो दुर्घटना कारित वाहन का नंबर देखा है और न ही आरोपी की पहचान वाहन के चालक के रूप में की है। ऐसी दशा में साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— आहत विकास बारिया (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना जुलाई माह वर्ष 2011 की रात्रि करीब 8:30 से 9:00 बजे की मलाजखण्ड चर्च के पास भीमजोरी की है। वह अपने नौकर रामलाल के साथ दमोह बाजार करके वापस मोहगांव आ रहा था, तो पीछे से एक नीले कलर की बस ने तेज गति से आकर उसकी साईड में आकर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दिया, जिससे वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर, पैर तथा हाथ में चोट आई थी और उसके साथ बैठे रामलाल को सीने में फेक्चर हो गया था। घटना के समय उक्त बस बहुत तेजी से आ रही थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण मलाजखण्ड अस्पताल में हुआ था और उसके बाद नागपुर लेकर गए थे। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जिस बस से उसका एक्सीडेन्ट हुआ था, उसका नंबर उसे याद नहीं है। साक्षी का स्वतः कथन है कि नीली रंग की बस थी। इस प्रकार इस साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि तो की है कि उसे घटना के समय वाहन दुर्घटना में सिर व पैर में तथा आहत रामलाल को सीने में फेक्चर हुआ था, किन्तु उक्त दुर्घटना किसके द्वारा कारित की गई, इसका खुलासा साक्षी ने नहीं किया है। साक्षी के द्वारा आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं की गई है।

8— आहत रामलाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि घटना लगभग 10-11 माह पूर्व की शाम के 8:00 बजे की है। वह दमोह बाजार से अपने सेठ के साथ मोटरसाईकिल से अपने घर मोहगांव आ रहे थे। जब उनकी मोटरसाईकिल मोहगांव चर्च के पास पहुंची तो पीछे से नीले कलर की बस ने आकर ठोस मार दिया था। बस उस समय बहुत स्पीड में थी। टक्कर लगने से वे लोग गिर गए थे, जिससे उसके दाएं हाथ में चोट आई थी और चोट के कारण उसका हाथ उपर नहीं उठता था। घटना के समय बस कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था। दुर्घटना के पश्चात् उसका ईलाज मलाजखण्ड अस्पताल में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह गाड़ी का नंबर नहीं जानता तथा कौन सी बस थी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि तो की है कि

उसे घटना के समय वाहन से दुर्घटना होने पर उसे तथा आहत विकास को चोट कारित हुई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना किसके द्वारा कारित की गई, इसका खुलासा साक्षी ने नहीं किया है। साक्षी के द्वारा आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं की गई है।

9— लखनलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना पिछले वर्ष बारिश की शाम की है। वह और महेश एक मोटरसाइकिल में तथा दूसरी मोटरसाइकिल में विकास और रामलाल मोहगांव जा रहे थे। वे लोग आगे थे और पीछे उनकी मोटरसाइकिल थी। बिरसा तरफ से आ रहा वाहन जो पुलिस का नीले रंग का वाहन था, उसने पीछे वाली मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। जिसकी सूचना कुछ लोगों द्वारा मोबाईल से थाने को दी, किन्तु वह वाहन न तो मलाजखण्ड न तो बैहर व रूपझर में रुका। उसने वाहन का नंबर नहीं देख पाया था। बस को तेजी से चलाया जा रहा था और बस ने कट मारा था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने वाहन दुर्घटना में आहत विकास व रामलाल की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, किन्तु साक्षी ने यह कथन नहीं किया कि उक्त दुर्घटना में आहतगण को चोट आई थी। साक्षी ने घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान भी नहीं की है।

10— भैयालाल तुरकर (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना 2-3 माह पूर्व शाम की 8-8:30 बजे की है। वह और महेश एक मोटरसाइकिल में और दूसरी मोटरसाइकिल में रामलाल और विकास मोहगांव अपने घर जा रहे थे। भीमजोरी चर्च के पास सालेटेकरी से आती हुई बस ने रामलाल वाली मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। जिससे वे गिर गए थे। उन लोगों की मोटरसाइकिल साइड में थी। बस ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी। फिर उन्होंने आहतगणों को उठाया और अस्पताल ले गए तथा फोन भी कर दिए कि बस ने टक्कर मारी है। उक्त बस को बैहर में लड़को ने रोका था, किन्तु लड़को के साथ मारपीट करते हुए वह बस आगे चली गई, जिसे रूपझर में रोका गया था। उसे बस का नंबर याद नहीं है, किन्तु पुलिस को बयान देते समय उसने बस का नंबर बता दिया था। बस कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था। बस के ड्राइवर की गलती से उक्त दुर्घटना कारित हुई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने बस का नंबर एम.पी. 50-8063 होना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह लोगो के बताए अनुसार यह बात बता रहा है कि बस बैहर से रूपझर में रुकी थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि दुर्घटना के समय आहतगण रामलाल व विकास की मोटरसाइकिल को बस के चालक के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। यद्यपि साक्षी ने घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान भी नहीं की है। इस कारण आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध कारित किये जाने के संबंध में साक्षी के कथन से कोई समर्थन प्राप्त

नहीं होता है।

11— दीपक (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना लगभग 6-7 माह की रात्रि 9-9:30 बजे चकावाही चौक मलाजखण्ड की है। घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसाईकिल से दमोह बाजार से मोहगांव आ रहा था एवं एक अन्य मोटरसाईकिल से विकास और रामलाल आ रहे थे। पीछे से हरे कलर का मेटाडोर वाहन जिसका नंबर उसे ध्यान नहीं है। उक्त वाहन ने आहतगणों को ठोस मार दिया था, जिससे आहतगण गिर गए थे। फिर उन लोगों ने आहतगणों को उठाकर मलाजखण्ड अस्पताल में लेकर गए थे। उक्त दुर्घटना गाड़ी वाले की गलती से हुई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि बस ने आकर आहतगण की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि टक्कर मारने वाला वाहन मेटाडोर था, जबकि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि दुर्घटना कारित वाहन बस था या मेटाडोर। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले से भिन्न अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन को मेटाडोर होना प्रकट किया है, इसके अलावा साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है।

12— डॉक्टर रंजीत कुमार बाला (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.05.2012 को ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेण्डेंट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत विकास बारिया उम्र 25 वर्ष निवासी अण्डीटोला मोहगांव को थाना मलाजखण्ड के सरवन के द्वारा उसके समक्ष ईलाज हेतु लाया गया था। जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के माथे पर दाहिने सामने तरफ दाहिने कंधे पर एवं दाहिने घुटने पर मुंठी चोट और खरोंच के निशान पाए थे, जो गंभीर प्रकृति के थे। उक्त चोट दुर्घटना से आना बताया था। उक्त दिनांक को ही आहत रामलाल उम्र 30 वर्ष निवासी अण्डीटोला मोहगांव थाना मलाजखण्ड को सुरेश बाघ और लखन के द्वारा ईलाज हेतु लाया गया था। जिसके परीक्षण पर उसने एक मुंठी हुई चोट दाएं कंधे पर कॉलर बोन के दाईं तरफ एवं दाईं कोहनी पर चोट थी एवं दाहिने हाथ पर एक छिला हुआ घाव था। उक्त चोटें गंभीर प्रकृति की थी। चोट का कारण सड़क दुर्घटना था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 एवं 7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— डॉ. डी. बनर्जी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.05.2011 को ताम्र परियोजना अस्पताल मलाजखण्ड में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को आहत विकास बारिया की एक्सरे प्लेट क्रमांक-347,348 जो सिर की हड्डी का था, परीक्षण उसके द्वारा किया गया। जिसमें उसने सिर की हड्डी में कोई चोट नहीं पाया। उसके द्वारा आहत को स्पष्ट अंतिम अभिमत एवं जांच के लिये रेडियोलॉजिस्ट की सलाह दी। उक्त एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत रामलाल की एक्सरे प्लेट क्रमांक-341,342 का परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। जिसे उसने दिनांक-01.

05.2011 को किया। उसने परीक्षण में कंधे एवं गर्दन की हड्डी में अस्थिभंग था। उसके द्वारा आहत को स्पष्ट अंतिम अभिमत हेतु विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट की सलाह दी गई। उक्त दिनांक को आहत विकास के एक्सरे प्लेट क्रमांक-343,344 का परीक्षण किया गया। जिसमें उसने आहत की दाहिनी कोहनी की हड्डी में कोई चोट नहीं पाई थी। उसे भी सूक्ष्म परीक्षण हेतु रेडियोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी थी। इसी दिनांक को आहत की एक्सरे प्लेट क्रमांक-345,346 का परीक्षण किया गया। उसने परीक्षण में किसी तरह की चोट नहीं पाई उक्त सभी एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14- उक्त चिकित्सीय साक्षीगण की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत विकास को साधारण एवं आहत रामलाल को घोर उपहति कारित हुई थी।

15- ज्ञानी राम बाहे (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 02.05.11 को थाना मलाजखण्ड में चालक आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे लगभग 15-20 वर्षों से वाहन चलाने का अनुभव है। उसके द्वारा वाहन क्रमांक एच.आर. 66-8063 बस क्रमांक का परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने वाहन के कंडक्टर साईड खिड़की का एक कांच टूटा हुआ पाया था। वाहन चालू हालत में था तथा वाहन में किसी प्रकार की यांत्रिकी खराबी नहीं थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने मामले में जप्तशुदा उक्त वाहन के कंडक्टर साईड खिड़की का कांच टूटा होना बताया है, किन्तु उक्त वाहन के परीक्षण में कथित मोटरसाइकिल से टोस या टकराने वाली स्थिति को दर्शित करते हुए वाहन में कोई चिन्ह या क्षति होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे उक्त साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

16- अनुसंधानकर्ता अधिकारी एम.एल. वंशकार (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.05.2011 को थाना मलाजखण्ड में सहा. उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता महेश की मौखिक रिपोर्ट पर बस क्रमांक-एम.पी.-50-8063 के चालक के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-31/11 धारा 279, 337 भा.द.वि के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 01.05.11 को सूचनाकर्ता महेश, साक्षी भैयालाल एवं दिनांक 02.05.11 को दीपक, दिनांक 04.05.11 को विकास, रामलाल, लखनलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 02.05.11 को महेश की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी कैलाश से बस क्रमांक-एम.पी.-50-8063 एवं उसका ड्राइविंग लायसेंस साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्र प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर

हैं। जप्तशुदा बस का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

17— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से मात्र यह तथ्य प्रमाणित होता है कि कथित दुर्घटना में आहत रामलाल को घोर उपहति एवं आहत विकास को साधारण उपहति कारित हुई थी, किन्तु यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि उक्त उपहति आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन के कारण कारित हुई थी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन का चालन किये जाने का तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। जप्ती अधिकारी के द्वारा आरोपी से वाहन जप्त किये जाने के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित वाहन को चलाया जा रहा था। वास्तव में जप्तशुदा वाहन से ही दुर्घटना कारित होना भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। जप्तशुदा वाहन के मैकेनिकल परीक्षण से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि उक्त वाहन से मोटरसाईकिल को ठोस मारने या टकराने के निशान थे। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक—एम.पी.50—8063 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन से टक्कर मारकर आहत रामलाल को घोर उपहति एवं आहत विकास को साधारण उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक—एम.पी.50—8063 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार अनिल तलकोतरा पिता स्वतंत्र लाल निवासी 208 कोबरा, सी.आर.पी.एफ. पुलिस लाईन जिला बालाघाट को सुपुर्दना पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट